



पत्रांक : कु0स0-सम्बद्धता / 715 / 2010,

दिनांक : 30 नवम्बर, 2010

तत्काल / अत्यावश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबंधक,  
समस्त अनुदानित महाविद्यालय,  
सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2006 की धारा-6 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उ0प्र0 शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग, इलाहाबाद के पत्रांक डिग्री अर्थ-1/7658/2009-10 दिनांक 16.11.2010 के सन्दर्भ में महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों का पूर्ण विवरण निम्नलिखित प्रारूप में पूरित कर विश्वविद्यालय के फैक्स सं0 0542 2225472 पर विलम्बतम दिनांक 03.12.2010 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

महाविद्यालय का नाम/विकास खण्ड का नाम	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने का वर्ष	सम्बद्धता की तिथि	विषयवार शिक्षकों का विवरण			विश्वविद्यालय का अनुमोदन क्रमांक व दिनांक
				विषय	शिक्षक का नाम	शैक्षिक अर्हता	
1	2	3	4	5	6	7	8

उक्त के सम्बन्ध में समय से सूचना उपलब्ध न होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी तथा महाविद्यालय से उक्त के अनुपलब्धता की सूचना तत्काल उ0 प्र0 शासन एवं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रेषित कर दी जायेगी।

भवदीय,

(आई0पी0झा)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय कुलपति जी सूचनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

✓ 4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय के साथ कि पत्र को सूचनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।

(आई0पी0झा)  
कुलसचिव